

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 06 /2020/320/अस्सी-2-2020-100(9)/2019
लखनऊ: दिनांक 04 सितम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित की गयी उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 के कार्यान्वयन को मजबूत और निगरानी करने के लिए नीति के प्रस्तर-6.1.2 के प्राविधानानुसार "राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति" निम्नानुसार गठित की जाती है:-

"राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति"

क्रम सं.	समिति का पद	आधिकारिक पदनाम
1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2	उपाध्यक्ष	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
क- राज्य सरकार के कृषि निर्यात संबंधी विभाग/संस्थाएँ		
1	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन
4	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश शासन
5	सदस्य	प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन
6	सदस्य	प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन
7	सदस्य	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश शासन
8	सदस्य	प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन, उत्तर प्रदेश शासन
9	सदस्य	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन
10	सदस्य	प्रमुख सचिव, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		शासन
11	सदस्य	निर्यात आयुक्त,निर्यात संवर्धन ब्यूरो,उत्तर प्रदेश सरकार
12	सदस्य	आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,उत्तर प्रदेश सरकार
13	सदस्य	महानिदेशक,उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान परिषद् , (उपकार) उत्तर प्रदेश
14	सदस्य	प्रबंध निदेशक ,उ०प्र० राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ ,
15	सदस्य	निदेशक ,राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् ,उत्तर प्रदेश
16	सदस्य	निदेशक ,उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ
17	सदस्य सचिव	निदेशक ,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय , उत्तर प्रदेश
ख- केन्द्र सरकार के निर्यात सम्बन्धी विभाग/संस्थाएँ		
1	सदस्य	महानिदेशक ,विदेश व्यापार या उसका प्रतिनिधि
2	सदस्य	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क,भारत सरकार
3	सदस्य	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ,(एपीडा) नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
4	सदस्य	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई०सी०ए०आर०) नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
5	सदस्य	निर्यात निरीक्षण परिषद (ई०आई०सी०) के क्षेत्रीय अधिकारी
6	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी/प्रतिनिधि, वनस्पति संरक्षण ,संगरोध एवं संग्रह निदेशालय,फरीदाबाद , हरियाणा
7	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी/प्रतिनिधि, पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवाएँ , नई दिल्ली
8	सदस्य	भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ०आई०ई०ओ०), नई दिल्ली के प्रतिनिधि
ग-अन्य सदस्य		
1	सदस्य	1- <u>राज्य सरकार द्वारा नामित 01(एक) प्रगतिशील किसान पदम श्री राम शरन वर्मा, बाराबंकी</u>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		<p>ई-मेल vermaagri@gmail.com एवं मो0नं0- 9839376028</p> <p>2- <u>राज्य सरकार द्वारा नामित 01(एक) एफ0पी0ओ</u> श्री शार्दूल विक्रम चौधरी, निदेशक, जया सीड्स फार्मस प्रोड्यूसर कम्पनी, ग्राम जयापुर, वाराणसी मो0नं0- 8896131008, 9415446090</p>
2	सदस्य	<p><u>राज्य सरकार द्वारा नामित दो (02)प्रख्यात निर्यातक</u></p> <p>1. श्री शेख इकराम हुसैन ए-601, गीतिका सी0एच0एस0लि0,प्लाट नं0-105/106,सेक्टर-29, वाशी नवी मुम्बई-400703 ई-मेल- sekramhusain@gmail.com एवं मो0नं0- 9867632247</p> <p>2. श्री अजय भालोटिया, फारच्यून राइस लि0,खसरा नं0- 378, ग्राम-नंगला चमरू, दादरी, गौतमबुद्धनगर- 203207 ई-मेल- fortunel1@yahoo.co.in एवं मो0नं0- 9811880003</p>
3	सदस्य	<p><u>राज्य सरकार द्वारा नामित औद्योगिक चैम्बर्स के दो (02) प्रतिनिधि</u></p> <p>1. श्री आलोक शुक्ल, निदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ (निकट पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट) मो0नं0-8009011333</p> <p>2. श्री अमित गुप्ता, स्टेट हेड, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड ज (FICCI), 135, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ। ई-मेल-amit.gupta@fikki.com एवं मो0नं0-9793996633</p>

2- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

डा0देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-06 /2020/320(1)/अस्सी-2-2020,तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,भारत सरकार, उद्द योग भवन नई दिल्ली।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ०प्र० लखनऊ।
- 11- निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसकी 250 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनु०-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12- समस्त संबंधित सदस्यगण।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।